## . चालू अंकेक्षण की परिभाषाएँ दीजिए। इसके गुण एवं दोषो का वर्णन कीजिए।

उत्तर :- चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षण लगानार वर्ष भर या समय-समय पर निश्चित या अनिश्चित अन्तराल पर आकर वही-खातो का हिसाब-किताब की जाँच करता है। यों तो इसके अन्तर्गत अंकेक्षण का कार्य लगातार वर्षभर या रूक-रूक कर चलना रहता है किन्तु अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन वर्ष से अन्त में ही देता है। इसकी कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाएँ निम्नांकित हैं :-

**१ ) स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार** ''सतत् अंकेक्षण वह है जहाँ अंकेक्षक के कर्मचारी वर्ष भर खातों पर लगातार व्यस्त रहते है या जहाँ अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयान्तरों पर वित्तीय वर्ष के दौरान आता है और मध्यकालीन हिसाब-किताबें का अंकेक्षण करता है।''

**२ ) एस.डब्ल्यू रोलैंड के अनुसार'** सतत् अंकेक्षण वह है जो संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व प्रारम्भ किया जाता है और चलता रहता है।

### परिभाषाओं के मुख्य तत्व ( Essence of Definition ) :-

i) अंकेक्षण की किया वर्ष भर चलना:

ii) अंकेक्षण की क्रिया रूक-रूक कर निश्चित या अनिश्चित अन्तराल पर या सतत् चलना

iii) प्रतिवेदन वर्ष के अंत में अंकेक्षण कार्य समाप्त होने पर ही अंकेक्षण द्वारा दिया जाना। चालू अंकेक्षण के निम्न लाभ/गुण है :-

**i) लेखों - पुस्तकों की गहन जाँच (Intensire Checking of Books of Accounts ) :-**

चूँकि इसमें अंकेक्षण की क्रिया वर्ष भर चलती रहती है जिसका अंकेक्षण को वही-खानों की जाँच का काफी समय मिल जाता है। इसके अतिरिक्त, अंकेक्षण व उसके सहायको के समक्ष लेखा पुस्तकें एक बार नहीं आकार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आती रहती है जिससे उनकी गहन जाँच संभव हो पानी है जिसके परिणामस्वरूप काफी बुद्धिदमता से किये गये छल-कपटीं का भी पता चल सकता है।

**ii ) गलतियों और कपटों का शीघ्र पता चलना (Quick Discovery of errors and frauds ) :-** चालू अंकेक्षण से गलतियों व कपटों का शीघ्र पता चल जाता है क्योंकि लेखा की प्रविष्टियों होने के ठीक बाद उनकी जाँच हाती है। दूसरी बात है कि कर्मचारियों को कपट करने के लिए समय नहीं मिल पाता है तथा उन्हें यह भी पता नहीं रहता है कि अंकेक्षण कब आ जायेगा। अत: उन्हें सुनियोजित ढंग से कपट करने के लिए पर्यारत समय नहीं मिल पाता है जिससे उनके द्वारा किये गये कपट शीघ्र हीं ढूँढ लिये जाते हैं।

**iii ) अशुद्धिदयों की जानकारी प्रारम्भ में ही हो जाना (Detection of Errors at the very begin ning ) :-** अंकेक्षण का कार्य चालू होने से गलतियाँ की जानकारी उली समय हो जाती है जिस समय वे ही जाया करती है जिससे उनका सुधार प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है। ऐसा होने से अन्य खातों कों सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

**४ ) कर्मचारियों का नैतिक प्रभाव (Moral Effect on Employees ) :-**

चालू अंकेक्षण से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। अंकेक्षण कार्य वर्षभर चलने के कारण वे अपने कार्य के प्रति काफी सतर्क करते है। चालू अंकेक्षण से कर्मचारियों की सतर्कता ईमानदारी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं कार्य क्षमता आदि भी प्रभावित होती है।

**५ ) समय का सदुपयोग (Proper utilisation of time ) :-**

अंकेक्षण का कार्य वर्ष-पर्यन्त चालू रहने से कर्मचारियों के समक्ष बेकार के समय की समस्या नहीं आ पाती है। उनके द्वारा तैयार किये गये खातों की जाँच एक के बाद एक की होती रहती है। वे यह भी जानते है कि समय पर कार्य नहीं करने से अंकेक्षण को बैठने की भी नौबत आ सकती है जो कर्मचारियों की कर्त्तव्यनिष्ठा में कमी का प्रतीक होगा। अत: समय का सदुपयोग होता है।

**६ ) अन्तरिम लाभांश की घोषणा में सुविधा ( Help in Declaration of interim Dividend ) :-**

प्राया: कम्पनियों द्वारा अपने अंशाधारियों को अन्तरिम लाभांश दिया जाता है। किन्तु खाते अंकेक्षित नहीं होने पर इसमें कठिनाई होती है। खातों की अग्रिम जाँच होने के कारण प्रबन्धको को अनुमनित लाभ की जानकारी हो जाती है और वे अपने को अन्तरिम लाभांश की घोषणा करने की स्थिति में पाते है।

**७ ) लेखा पद्धति में शीघ्र सुधार (Quick in provement in A/c system ) :-**

अंकेक्षण सतत् रहने के कारण अंकेक्षको को त्रुटियों के संबंध में शीघ्र जानकारी है। अंकेक्षण इन त्रुटियों की जानकारी है। अत: आवश्यकतानुसार लेखा पद्धति में वित्तीय वर्ष के दौरान ही सुधार करना सम्भव हो जाता है।

**8 ) अन्तरिम खातों की तैयारी (Preparation of interim A/c ) :-**

चालू अंकेक्षण से अन्तरिम खाते जैसे अन्तरिम लाभ-हानि खाता व आर्थिक चिठ्ठा का निर्माण वर्ष के मध्य में ही सम्भव हो पाता है। इन खातो व विवरणों के अन्तरिम स्तर पर तैयार हो जाने से लाभांश वगैरह की घोषणा सरल हो जाती है। इसके अलाबा अन्तरिम खाते तैयार हो जाने से ऋण वसूलने का कार्य वर्ष के मध्य में से प्रारम्भ किया जा सकता है, फिर यदि बीच में ही व्यवसाय बेचने की आवश्यकता हो तो यह भी सम्भव होता है।

**९ ) अंकेक्षण - रिपोर्ट की शीघ्र प्राप्ति (Quick Receipt of Auditor's Report ) :-**

चालू अंकेक्षण की प्रक्रिया से अंकेक्षक का प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही मिल जाता है जिसे अंशधारियों के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि अंकेक्षण से संबंधित सारे कार्य वष

पर्यन्त चलते रहते है। वर्ष के अंत में केवल अंकेक्षण-प्रतिवेदन वर्ष समाप्त होते ही आसानी से तैयार कर लिया जाता है।

### १०) अंकेक्षक के लिए सुविधाजनक (Convenience to Auditar) :-

चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक अपने कार्य का नियोजन सही-सही कर सकता है। जिससे अंकेक्षण का कार्य सुचारू ढंग से चलता रहता है। उसके समक्ष शीघ्र ही अंकेक्षण प्रतिवेदन देने की समस्या नहीं होती है। वस्तुत: वर्ष के अंत में वार्षिक अंकेक्षण की स्थिति में वह कार्य भार से दबा रहता है क्योंकि उस अवधि में उसे बहुत सी कम्पनियों का अंकेक्षण कार्य पूरा करना होता है। यही कारण है कि चालू अंकेक्षण अंकेक्षक के लिए सुविधाजनक होता है जिससे वह अंकेक्षण का कार्य प्रभाव पूर्ण ढंग से निष्पादित करने में सक्षम होता है।

### ११) अंतिम खाते का शीघ्र प्रस्तुतीकरण (Early presentation of final A/c) :-

चूंकि चालू अंकेक्षण में कार्य वर्ष पर्यन्त चलता रहता है जिसके कारण लेखांकन की किया भी साथ-साथ चलती रहती है। परिणामत: अंतिम खाते की तैयारी वर्ष समाप्त होते ही पूरी हो जाती है।

### 12) अंकेक्षण कर्मचारी व्यस्त रखे जा सकते है (Audit staff can be kept Busy) :-

चालू अंकेक्षण की स्थिति में अंकेक्षण कर्मचारी वर्षपर्यन्त व्यस्त रखे जा सकते है क्योंकि एक कम्पनी का चालू अंकेक्षण समाप्त होते ही उन्हें दुसरी कम्पनी के सामान्य अंकेक्षण में व्यस्त किया जा सकता है। साथ ही विभिन्न कम्पनियों के चालू अंकेक्षण के कार्य में भी उन्हें व्यस्त जा सकता है।

## * चालू अंकेक्षक के दोष
## (Disadvantages of continuous Audit) :-

**चालू अंकेक्षण के निम्न दोष है।**

### 1) कार्य में असुविधा (Inconvenience in work) :-

अंकेक्षक के बार-बार आने-जाने से कर्मचारियों को कार्य करने में असुविधा होती है। अंकेक्षक जब तक अंकेक्षण का कार्य करता रहता है। कर्मचारियों के कार्य में व्यवधान (Disturbance) उत्पन्न होता रहता है।

### २) अधिक खर्चीला (Highly Expensive) :-

चूंकि अंकेक्षक अंकेक्षण हेतु बार-बार आता है, उसे अधिक समय अधिक पारिश्रमिक देने की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक सामान्य व्यवसाय के लिए चालू अंकेक्षण उपयुक्त भी नहों होता है। अत: लधुस्तरीय व्यवसाय के लिए यह अत्यंत ही खर्चीला वरूवस्था साबित होती है।

### ३ ) कार्य की सतत्ता का अभाव (Absence of Continuity of work ) :-

चालू अंकेक्षण अलग-अलग अंतराल पर भी होता है। अत: कार्य की सतत्ता समाप्त हो जाती है। कभी-कभी कार्य की पुनरावति नहीं की जाय तो कुछ आवश्यक बातें छूट भी सकती है जिससे प्रभावशाली व स्वच्छ प्रतिवेदित तैयार नहीं किया जा सकता है।

### ४ ) अंकेक्षक की प्रभावहीनता (Less Effectiveness of the Auditor ) :-

अंकेक्षक के बार-बार आने-जाने से कर्मचारियों के बीच में उसका प्रभाव घटने लगता है। कर्मचारी उन्हें अपने दोस्त के रूप में समझाने लगते हैं और कभी-कभी वे इसका गलत फायदा भी उठा लेते है।

### 5) कर्मचारियों की कार्यक्षमता में हृस (Decrease in Efficiency of the employees) :-

चालू अंकेक्षण का एक गलत प्रभाव यह भी होता हैं कि कर्मचारीगण बहुत हद तक अंकेक्षक पर आश्रित होने की प्रवृति पालने लगते हैं। वे जानते हैं कि यदि त्रुटियाँ हो जायेंगी तो वे अंकेक्षण द्वारा सुधार दी जाएगी। इससे कर्मचारियों की लापरवाही बढ़ती है तथा उनकी कार्यक्षमता का हृास होता है।

### ६ ) अंकों में हेर-फेर की सम्भावना (Possiblity in Alteration of figures ) :-

अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित खातों में कर्मचारियों द्वारा हेर-फेर करने की भी सम्भावना बढ़ जाती हैं? ऐसा इसलिए होता हैं। साथ ही समान्य त: अंकेक्षित खाते संस्था के कर्मचारियों की देख-रेख में ही होते हैं।

### ७ ) अंकेक्षण का कार्य नीरस हो सकता है (The work of Audit May become Monotonous ) :-

चालू अंकेक्षण का कार्य थका देने वाला नाि यंत्रवत हो जाता है। जिससे अंकेक्षण कार्य नीरस प्रतीत होने लगता है जिसका अंकेक्षण के कार्य पर प्रतिफूल प्रभाव पड़ता है।

### 8 ) संस्थान के कर्मचारी सुस्त हो सकते हैं :-

चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण सनन रूप से संस्था में आता रहता है जिससे कर्मचारी अंकेक्षक पर निर्भर होने लगते हैं, परिणामन: उनमें सुस्ती का भय बना रहता है।

### 9) अत्यक्तिगत खातों में कपट की अत्यधिक सम्भावना (Greater Chances of frauds in imper sonal A/c ) :-

चालू अंकेक्षण की स्थिति में अव्यक्तिगत खातों में कपट की अत्यधिक सम्भावना बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अव्यक्तिगत खातों की जाँच वर्ष के अंत तक स्थगित की जा सकती है। हाँ, यदि स्थगित करना सम्भव नहीं हो तो अंकेक्षक को अधिक सतक रहने की आवश्यकता होती

है। उसे प्रत्येक भ्रमण में अव्यक्तिगत खातों के शेष को अंकेक्षण पुस्तिका में अंकित करते जाना चाहिए जिससे अंको में हेर-फेर की सम्भावना नहीं रहे।

## सावधानियों (Precautions) :-

i) अंकेक्षित खातों का प्रयोग कर्मचारियों द्वारा बिना अंकेक्षक की अनुमति से नहीं किया जाना।

ii) यथासम्भव खातो की जाँच एक बैठक में किया जाना।

iii) अंकेक्षण डायरी में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाना।

iv) जाँच के क्रम में अंकेक्षक द्वारा विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाना।

v) कर्मचारियों के स्पष्टीकरणों का अंकेक्षण डायरी में नोट किया जाना।

vi) अपने सहायक कर्मचारियों को बदलते रहना चाहिए।

vii) अव्यक्तिगत खाते की जाँच अन्त में करनी चाहिए।

viii) विशेष जोड़ो एवं शेषो को डायरी में नोट कर लेना चाहिए।

ix) कर्मचारियों को भी उचित चेतावनी देनी चाहिए जिससे वे अंको में परिवर्तन न कर सकें।

## चालू अंकेक्षण की उपयुक्तता
## (Subitabitity of continuous Audit) :-

i) जिन संस्थाओं में क्रम-विक्रय, उत्पादन बड़े पैमाने पर होते हैं, जैसे- बड़ी निर्माणी संस्थाएँ।

ii) जहाँ वर्ष समाप्त होते ही लाभ-हानि खाता व आर्थिक चिठ्ठा बनाना आवश्यक हो जैसे बैं बीमा कंपनी बिजली कम्पनी, रेलवे कम्पनी, रेलवे कम्पनी गैस कम्पनी आदि।

iii) जहाँ अन्तरिम खाते बनाये जाते हों।

iv) जहाँ आन्तरिक रोक-थाम की व्यवस्था नहीं हो।

v) जहाँ नगद लेन-देन की मात्रा अधिक हो।

vi) जहाँ गहन जाँच जरूरी हो।